IV 25/18

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

भारत

रु.50

Rs.50

9 OCT 2018

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287636

न्यास–पत्र (Trust Deed)

न्यास/ट्रस्ट का नाम–आदर्श सोशल डेवलपमेन्ट ट्रस्ट (ADARSH SOCIAL DEVELOPMENT TRUST) –हम कि डा0 मिथिलेश मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 श्री विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी सा0 अहिरौली तिवारी, तप्पा–मरिना, परगना–बांसी पूरब, जनपद–सिद्धार्थनगर के निवासी है। मुख्य न्यासी (न्यासकर्ता)

क्रमशः........2

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

29 OCT 2018

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287651

विदित हो कि हम शपथकर्ता सार्वजनिक हित युवा उत्थान एवं शिक्षा प्रचार हेतु एक न्यास का गठन किया हैं, जो निम्न हैं :—

1— यह कि न्यास का गठन अंकन रूपया 5,000/—(पाँच हजार रूपया मात्र) से आरम्भ किया जा रहा है।

2— यह कि हम मुकिर द्वारा उक्त न्यास का रिकार्ड कार्यालय (मुख्य कार्यालय) ग्राम—अहिरौली तिवारी, पोस्ट—कोटिया गडोरी, तहसील—बांसी, जनपद—सिद्धार्थनगर में स्थित होगा। उक्त न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने तथा उसके उद्देश्यों की सुगमता प्राप्त करने एवं बावत इसके कार्यालय की देश व प्रदेश की राजधानी व अन्य स्थानों पर स्थापना की जायेगी और उन कार्यालयों के पते पर न्यास मजकूर द्वारा गठित की जाने वाली संस्थाओं व समितियों का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा।

3— यह कि हम मुकिर न्यास मजकूर के संस्थापक व मुख्य न्यासी होगें तथा न्यास के संचालन व व्यवस्था के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों जो कि न्यास के उद्देश्यों के

क्रमशः.........3

3

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287652

अनुसार न्यास हित में न्यासी के रूप में कार्य करने को सहमत है। न्यास का न्यासी नामित करता हूँ कि इस प्रकार नामित व्यक्तियों को न्यास का न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी व न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा।

1– डा0 मिथिलेश मणि त्रिपाठी पुत्र स्व0 विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी, ग्राम–अहिरौली तिवारी, पोस्ट–कोटिया गड़ोरी, तहसील–बांसी, जनपद–सिद्धार्थनगर– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (Chairman & Managing Director)

2– राजेश मणि त्रिपाठी पुत्र डा0 मिथिलेश मणि त्रिपाठी, ग्राम–अहिरौली तिवारी, पोस्ट–कोटिया गड़ोरी, तहसील–बांसी, जनपद–सिद्धार्थनगर – प्रबन्ध निदेशक (Managing Director)

3– पंकज मणि त्रिपाठी पुत्र डा0 मिथिलेश मणि त्रिपाठी, ग्राम–अहिरौली तिवारी, पोस्ट–कोटिया गड़ोरी, तहसील–बांसी, जनपद–सिद्धार्थनगर – सचिव (Secretary)

क्रमशः 4

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 287653

4. न्यास के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1– समाज के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना।

2– निर्बल एवं असहायों के उत्थान में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम बनाना तथा संचालित करना।

3– समाज के लोगों के लिए उनके उत्थान से सम्बन्धित समस्त कार्य जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हो, को आयोजित कर सामाजिक जागरूकता पैदा करना।

4– नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र–छात्राओं को रचनात्मक दिशा देने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा आदि के अन्तर्गत प्रा0, जू0हा0, इण्टरमीडिएट कालेज व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों, बी0एड0, बी0टी0सी0, डी0एल0एड0, बी0एल0एड0, आई0टी0आई0 कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, फार्मेसी कालेज,

क्रमशः 5

5

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

29 OCT 2018

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287654

पॉलिटेक्निक कालेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, होम्योपैथिक कालेज, लॉ कालेज, प्रबन्धन, विज्ञान, नर्सिंग होम इत्यादि कोर्सों व कालेजों का स्थापना करना तथा उसका संचालन करना।

5– स्टेडियम तथा अन्य व्यायामशालाओं का निर्माण कराना तथा उसका संचालन करना, शारीरिक शिक्षा तथा स्पोर्ट के उत्थान हेतु स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना करना तथा प्रदेश, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच तथा अन्य खेलों का आयोजन करना।

6– वर्तमान समय में विज्ञान के जनजीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने के स्थिति को देखते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना एवं कम्प्यूटर तकनीकी पर आधारित होने के कारण इससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना जैसे CCC, DCA, PGDCA, TALLY आदि।

क्रमशः........6

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये | FIFTY RUPEES

रु.50 | Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BS 287655

7– न्यास के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में महिला कल्याण केन्द्र, सिलाई, कढ़ाई, पेंन्टिग वाचनालय व अन्य कल्याणकारी केन्द्रों की स्थापना करना।

8– समाज में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने व राष्ट्रीय चरित्र निर्माण हेतु समय–समय पर खेल–कूद तथा सांस्कृतिक विषयों पर विचार गोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन करना।

9– सदस्यों में सहकारिता एवं सहभागिता की भावनाओं को विकसित करना।

10– निराश्रित, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़े एवं गरीब व असहाय बच्चों के लिए उच्च तकनीकि शिक्षा उपलब्ध कराना।

11– सामाजिक असमानता को मिटाने के लिए धार्मिक तथा सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को आयोजित करना। इस हेतु कैम्प एवं सेमिनार का आयोजन करना।

12– युवकों के कल्याण हेतु यथा सम्भव प्रयास करना एवं उनके लिए विविध कार्यक्रमों का संचालन करना तथा हर स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के अध्ययन एवं आवास की समस्याओं के निराकरण हेतु छात्रावासों का निर्माण करना।

क्रमशः........7

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

29 OCT 2010

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287666

13– संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, शिक्षा शास्त्री आदि स्कूलों व कालेजों/संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना तथा अंग्रेजी माध्यम सी.बी.एस.ई. बोर्ड के प्राइमरी से उच्च स्तरीय स्कूल/कालेजों की स्थापना एवं उनका संचालन करना आदि।

14– भारतीय नागरिकों के कल्याणार्थ ऐसे सभी कार्य करना जो न्यास मण्डल संकल्पित करें जैसे–मद्य निषेध कार्यक्रम, नशा उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार नियोजन एवं एड्स रोग की रोकथाम, विकलांगता दूर करना, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, महिला उत्थान के कार्यक्रम आदि।

15– पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित हर संभव प्रयास करना, प्रदूषण नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की व्यवस्था तथा पशु–पक्षियों एवं अन्य जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने हेतु प्रयास करना।

क्रमशः 8

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

9 OCT 2018

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287667

16– पीड़ित व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सालय की स्थापना करना एवं संचालन करना तथा इससे सम्बन्धित विभिन्न विविधाओं की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सीय महाविद्यालयों की स्थापना करना।

17– अंधापन, घेघापन, क्षयरोग, कुष्ठ रोग एवं एड्स से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने सम्बन्धित कार्यों को करना तथा उक्त रोगों से बचाव के लिए जागरुकता अभियान चलाना।

18– विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार के लिये इससे सम्बन्धित समस्त कार्यों को करना तथा विभिन्न स्तर के तकनीकी शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना।

19– समाजिक उद्देश्यों की अन्य संस्थाओं से सहयोग एवं सम्पर्क स्थापित करने तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करना।

9

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

INDIA

9 OCT 2012

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287668

20– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति तथा इनके विभिन्न इकाईयों की सुचारू व्यवस्था के लिए अन्य संस्थाओं की स्थापना करना तथा इसके लिए समितियों एवं उप समितियों का गठन करना।

21– न्यास के अधीन समितियों एवं संस्थाओं को सुचारूरूप से संचालन के लिए समिति पंजीकरण अधिनियम के अनुसार उनकी अलग नियमावली तथा उप नियमों को बनाना।

22– न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं समितियों की सदस्यता के लिए विभिन्न प्रावधानों को लिखित रुप से तैयार करना तथा इसके लिए धन की व्यवस्था हेतु सहायता शुल्क, दान, चन्दा इत्यादि निर्धारित करना तथा उनकी प्रबन्ध इकाईया गठित करना।

23– न्यास के अधीन चलने वाली संस्थाओं को संचालित करने एवं उनकी व्यवस्था के लिए लाभार्थियों से शुल्क प्राप्त करना।

क्रमशः 10

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287674

24– न्यास की सम्पत्ति की देख-भाल करना तथा न्यास की सम्पत्ति को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना और आवश्यकता पड़ने पर न्यास की सम्पति को नियमानुसार हस्तान्तरित करना।

25– न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं व गठित समितियों में अनियमितता कि स्थिति उत्पन्न होने तथा किन्ही आकस्मिक परिस्थितियों में उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग कर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था न्यास में निहित करना।

26– न्यास के अधीन स्थापित एवं संचालित संस्थाओं, विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, चिकित्सालयों अन्य समस्त समितियों के लिए आवश्यक कर्मचारियों को नियुक्त करना एवं इस प्रकार नियुक्त कर्मचारियों के लिए आचारण एवं व्यवहार नियमावली तैयार करना और उनके हित में अन्य कार्यो को करना।

27– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा न्यास द्वारा संचालित संस्थाओ के हित में व्यक्तियों, संस्थाओं, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी विभागों से दान उपहार, अनुदान व अन्य रुप से धन सम्पत्तियों को प्राप्त करना तथा विभिन्न

क्रमशः 11

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

29 OCT 2018

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287675

माध्यमों से न्यास के लिए सम्पत्ति की व्यवस्था करना तथा आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खर्च करना।

28– न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास मण्डल द्वारा संकल्पित कार्यों को करना।

29– बालबाणी, आगंनबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता मिशन, कौशल विकास योजना, बाल सुधार गृह, अनाथ आश्रम इत्यादि संस्थाओं को स्थापित कर संचालित करना या उनमें सम्मिलित होकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना।

30– ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करना, मत्स्य पालन, मन्दिर, मस्जिद, बैंक, गौशाला, अस्पताल इत्यादि का निर्माण करना।

31– आवासीय विद्यालयों, छात्रावास, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम आदि कि स्थापना कर संचालित करना।

32– उर्दू शिक्षा के विकास के लिए मकतब, मदरसा, दारूलउलूम जैसे विभिन्न प्रकार के दीनी व धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर उसको संचालित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287676

33– विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, इत्यादि कि स्थापना कर संचालित करना।

34– सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों, संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति करना।

35– सरकार की सहायता से गॉव एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सड़क निर्माण, खड़न्जा, पिच, पार्क, सिवर एवं भवन निर्माण इत्यादि की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त अल्प लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराना।

36– शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं के कमजोर विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे–मेडिकल, इन्जिनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बैंक, आई०ए०एस०, पी०सी०एस० में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेन्टरों की स्थापना करना।

37– बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु प्राथमिक स्तर से कन्या इण्टरमीडिएट, कालेज, महिला महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना कर संचालित करना।

क्रमशः 13

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

2018

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287677

5. न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी :-

न्यास का गठन एवं संचालन :-

क)- न्यास के मुख्य न्यासी आजीनव अध्यक्ष एव प्रबन्धक होगें। जिन्हे अपने जीवनकाल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में इस प्रकार अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने के पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु हो जाये तो उसके उत्तराधिकारी स्वयं न्यास के मुख्य न्यासी हो जायेगें। किसी परिस्थिति में यदि एक से ज्यादा उत्तराधिकारी हो तो उनमें से मुख्य न्यासी की नियुक्ति न्यास मण्डल के शेष सदस्यों द्वारा उनके योग्यता एवं न्यास हित में कार्य करने की क्षमता को देखते हुए की जायेगी।

ख)- मुख्य न्यासी के अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य करने की अक्षमता आदि की अवस्था में उनके द्वारा निर्धारित न्यासी मुख्य न्यासी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत होगें।

ग)- न्यास मण्डल के किसी अन्य सदस्यो को उनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने अथवा न्यास के हितों के विपरीत आचरण करने की दशा में न्यास मण्डल द्वारा उन्हे न्यास से पृथक कर दिया जायेगा और उनके स्थान पर सुयोग्य एवं हितैसी व्यक्ति को न्यास मण्डल की बहुमत से न्यासी के रूप में

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 287678

संयोजित कर लिया जायेगा। तथा आवश्यकतानुसार अन्य लोगों को न्यास में सम्मिलित किया जा सकेगा।

घ)– यदि कोई न्यासी उक्त प्रकार के न्यास से पृथक नहीं किया जाता है। यदि उसे न्यास मण्डल के सदस्य के रुप में आजीवन कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा और उनकी मृत्यु या स्वेच्छा से पद त्याग करने की स्थिति में मुख्य न्यासी द्वारा उनके विधिक उत्तराधिकारी को न्यास मण्डल की राय से न्यासी के रुप में सम्मिलित करने का अधिकार होगा। न्यासी के किसी विधिक उत्तराधिकारी के न्यास मण्डल में शामिल होने की योग्यता न रखने अथवा न्यास मण्डल में सम्मिलित होकर उनके द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त करने पर न्यास मण्डल द्वारा किसी अन्य हितैसी व्यक्ति को न्यास मण्डल का सदस्य बनाया जा सकेगा।

ड.)– न्यास मण्डल की वर्ष में एक बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी। उक्त वार्षिक बैठक में न्यास के अधीन संचालित सभी संस्थाओं, समितियों तथा नेटवर्क कार्यक्रमों के प्रबन्धक सचिव व प्रधान तथा अन्य पदाधिकारीगण भी भाग लेगें। वार्षिक बैठक की सूचना उक्त सभी व्यक्तियों को पन्द्रह दिन पूर्व मुख्य न्यासी द्वारा दी जायेगी और उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वार्षिक बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। वार्षिक बैठक से अनुपस्थित व बैठक में भाग न लेने वाले सदस्य

क्रमशः 15

15

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AD 287936

की यह अयोग्ता समझी जायेगी। कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक में अनुपस्थित हो सकता है।

च)– वार्षिक बैठक में न्यास के वर्ष भर के क्रियाकलापों पर विचार होगा और आय-व्यय पर विचार कर न्याय का बजट निर्धारित किया जायेगा। विचारोपरान्त से पारित निश्चय एवं निर्णय पर न्यास मण्डल का फैसला अन्तिम होगा।

6. न्यास का कोष :–

क)– न्यास के उददेश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार की सदस्यता शुल्क नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा एवं सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानो से प्राप्त राशियाँ एवं ली गयी ऋण राशियाँ निहित होगी एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं/कार्यक्रमों द्वारा अर्जित कि गयी धनराशि/शुल्क राशियाँ निहित होगी।

ख)– न्यास के कोष की व्यवस्था के लिए उसका खाता किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत /मान्यता प्राप्त बैंक में खोला जायेगा। जिसका संचालन मुख्य न्यासी द्वारा स्वयं अकेले अथवा किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

7. न्यास के अभिलेख :–

क्रमशः 16

16

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AD 287937

न्यास के अभिलेखों को तैयार करने, कराने व रख–रखाव का दायित्व मुख्य न्यासी का होगा, मुख्य न्यासी द्वारा मुख्य रूप से न्यास के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर व लेख का रजिस्टर इत्यादी रखा जायेगा।

8. <u>न्यास के सम्पति की व्यवस्था निम्नलिखित रुप से की जायेगी</u> :–

क)– यह कि न्यास मण्डल द्वारा न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वित्तिय संस्थाओं व बैंकों इत्यादी से दान, सहायता या ऋण इत्यादी लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित एवं वैधानिक माध्यम से न्यास की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में न्यास की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य न्यासी व एक अन्य न्यासी जिसे मुख्य न्यासी उचित समझे अधिकृत होगें।

ख)– यह कि मुख्य न्यासी की तरफ से स्थापित संस्थाओं एवं समितियों को संचालित करने के लिए भूमि एवं भवन, वाहन इत्यादि क्रय कर सकेगें या विकसित चल–अचल सम्पत्तियों को अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेगें। न्यास मण्डल द्वारा न्यास की सम्पत्ति या सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा।

ग)– यह कि न्यास की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वालों को दण्डित करने का अधिकार न्यास मण्डल को प्राप्त रहेगा। न्यास मण्डल व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्काशन,

17

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AD 287938

प्रमोशन आदि का अधिकार केवल मुख्य न्यासी का होगा तथा उनके विरूद्ध मुख्य न्यासी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील मुख्य न्यासी द्वारा ही सुनी जायेगी।

1– न्यास के आय–व्यय व लेखा परीक्षण मुख्य न्यासी द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी।

2– न्यास द्वारा या न्यास के विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन न्यास के नाम से की जा सकेगी। जिसकी पैरवी न्यास की ओर से मुख्य न्यासी द्वारा अथवा मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत न्यासी द्वारा की जायेगी।

3– न्यास के अधीन स्थापित संस्थाओं एवं गठित समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तो एवं सेवा सुविधाओं का निर्धारण भी न्यास मण्डल के अधीन होगा। न्यास मण्डल बहुमत से स्वयं उनके कार्यो को करेगा तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को इस हेतु नियुक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त न्यास अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध एवं प्रतिदिन के कार्य हेतु वैधानिक कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

9. <u>न्यास मण्डल</u> :– न्यास मण्डल न्यास के लिए वह भी कार्य करेगा जो न्यास के हितों के लिए आवश्यक हो तथा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो।

18

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

56AD 287939

10. न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति :– न्यास की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जायेगी तथा न्यास की सम्पत्ति न्यासी के निजी लाभ के लिए नहीं होगी। इसका उपयोग समाज के विकास के लिए किया जाएगा तथा भविष्य में न्यास द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत् यह भी शर्त लागू होगी।

लिहाजा बदुरुस्ती अपने होश–हवास में बिना किसी जबरदस्ती व दबाव के अपनी खुशी व रजामन्दी से **आदर्श सोशल डेवलपमेन्ट ट्रस्ट (ADARSH SOCIAL DEVELOPMENT TRUST)** के गठन व स्थापना के बावत यह न्यास–पत्र निष्पादित

क्रमशः 19

INCOME TAX DEPARTMENT
GOVT. OF INDIA
MITHLESH MANI
Permanent Account Number
Signature

भारत सरकार

Government of India

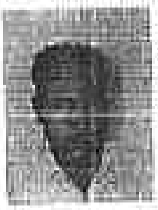

5834 5534 9865

आधार - आम आदमी का अधिकार

Unique Identification Authority of India

Uttar Pradesh, 272153

5834 5534 9865

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA
पहचान पत्र UP/36/175/00013?
IDENTITY CARD

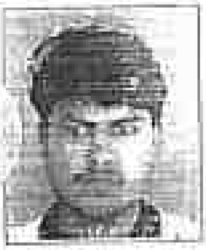

[illegible] : नसरुद्दीन
Elector's Name : Nasarudghin
[illegible] : वलीमेह
Father's/Mother's/Husband's Name : Valimeahmed
लिंग/Sex : पुरुष Male
[illegible] की आयु
Age as on 1.1.95 : 23

पता
म.सं. : 76अ
ग्राम/मोहल्ला : मीसना खास
तहसील : बांसी
जिला : सिद्धार्थनगर
Address
H.No : 76a
Vill/Mohalla : Misana Khas
Tehsil : Bansi
Dist : Siddharthnagar

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
के हस्ताक्षर की अनुकृति
निर्वाचन क्षेत्र 175 - खेसरहा
Facsimile Signature of
Electoral Registration Officer
For 175 - Khesraha A.C.

स्थान : खेसरहा
Place : Khesraha

दिनांक
Date : 01.05.1995

इस पत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पहचान पत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
This card may be used as an identity card under different Government schemes

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

60AD 807359

और दिया और हस्ताक्षरित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवें।

दिनांक : 02 / 11 / 2016

मुख्य न्यासी / न्यासकर्ता
(डा० मिथिलेश मणि त्रिपाठी)

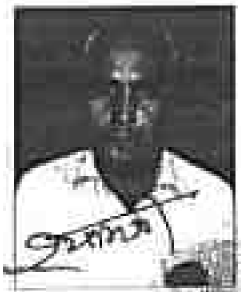

गवाहान :–

1– श्याम जी मिश्र पुत्र स्व0 श्री ज्वाला प्रसाद मिश्र, सा0 दुबौली पो0 कोटिया गड़ोरी, जनपद सिद्धार्थनगर, उ0प्र0

2– नसीरूद्दीन पुत्र श्री वलीमुहम्मद, सा0 मसिना खास, पो0 मसिनाखास टोला शंकरपुर, जनपद सिद्धार्थनगर, उ0प्र0

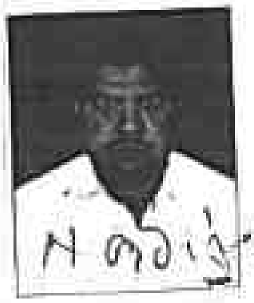

मसविदाकर्ता
श्रीकृष्ण यादव
एडवोकेट

क्रमांक 12/18 ..... दिनांक 29-10-18
स्टाम्प क्रय का प्रयोजन .... ल्याजदार
नाम व पूरा पता ....
.... रा. 12.7.18 ....
स्टाम्प की धनराशि 10/-
सन्तोष कुमार मिश्र स्टाम्प विक्रेता
उप निबन्धक कार्यालय .... लाइसेंस नं० 57
नवीनीकरण ... 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023

... संख्या 4 जिल्द संख्या 10 के पृष्ठ 263 से 300 तक क्रमांक ... पर दिनांक 02.11.2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(विनय सिंह)
उप निबंधक : बांसी
सिद्धार्थनगर
02/11/2018